झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

तृतीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 27.08.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	धनबाद जिला के चर्चित मटकुरिया गोलीकाण्ड में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक एच0-02-09/2012, दिनांक- 30.03.12 में परोक्ष रूप से बी0सी0सी0एल0 प्रबंधन को इस काण्ड के लिए जिम्मेवार माना है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को गलत ढंग से प्रस्तुत कर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को गुमराह किया परिणामस्वरूप इस काण्ड का पृष्टभूमि बना। अतः उक्त काण्ड में आरोपित जनप्रतिनिधियों के मुकदमें को एक राजनैतिक मुद्दे समझकर आरोप मुक्त किया जाय तथा इस घटना के मृतकों के आश्रितों को तत्समय के सरकारी घोषणानुसार अबिलम्ब दस लाख रूपये का मुआवजा देने सम्बंधी विषय पर समुचित कार्रवाई करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
02-	सर्वश्री नवीन जयसवाल, राधाकृष्ण किशोर एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0	केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार अपने योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों यथा अनुसेवक/आदेशवाहक को बिना किसी परीक्षा के प्रोन्नति देते हुए लिपिकीय संवर्ग में उत्क्रमित कर दिया है। केन्द्र के उक्त छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा भी अपने सभी कर्मियों के लिए सेवाशर्त्त एवं वेतनादि का निर्धारण संकल्प संख्या 660/28.02.2008 के द्वारा कर दिया गया है। परन्तु झारखण्ड राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवाशर्त्त का निर्धारण केन्द्र के अनुसार अभी तक नहीं किया गया है। जबकि तत्कालीन वित्त सचिव द्वारा इन चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवाशर्त्त के	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		निर्धारण हेतु आदेश दिया गया था। साथ ही इन्हें प्रोन्नति देने हेतु भी राजस्व पर्षद् द्वारा भी अनुमोदन कर दिया गया था। इन चतुर्थवर्गीय कर्मियों को केन्द्र एवं बिहार सरकार के अनुरूप लिपिकीय संवर्ग में उतक्रमित नहीं कर झारखण्ड सरकार द्वारा समता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अतः बिहार सरकार द्वारा दिये गये अपने चतुर्थवर्गीय कर्मियों को लिपिकीय संवर्ग के पदों में उत्क्रमण के अनुरूप झारखण्ड सरकार द्वारा भी अपने चतुर्थवर्गीय कर्मियों यथा अनुसेवक/आदेशवाहक को एक मुस्त उत्क्रमि करते हुए लिपिकीय संवर्ग में प्रोन्नत घोषित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	
03-	श्री शिवशंकर उराँव एवं श्री ताला मराण्डी स0वि0स0	झारखण्ड कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) में अन्य सेवा के पदाधिकारियों को कृषि निदेशालय झारखण्ड के पत्रांक- 1669, दिनांक- 19.05.2015 के आधार पर प्रोन्नति दी गई है। वानिकी स्नातक जिनकी नियुक्ति उप निदेशक (अनुसंधान) भूमि संरक्षण डेमोटाँड़ में अनुदेशक (वन) के पद पर दिनांक- 26.05.1988 को हुई है, को बिना शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अहर्ता को पूरा किए बिना प्रोन्नति झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग -2 (शष्य) में कर दी गई है। वानिकी स्नातक से झारखण्ड कृषि सेवा कोटि-1 वर्ग-2 (शष्य) में दी गई प्रोन्नति को विखण्डित करते हुए मूल कोटि कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) के पदाधिकारियों को योगदान की तिथि से वरीयता मानकर झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग-2 (शष्य) में प्रोन्नति देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता
04-	श्री प्रकाश राम स0वि0स0	वर्ष 1996 में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में विश्व बैंक सम्पोषित पोलिटेकनिक शिक्षा सृदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियुक्ति अनुबंध के आधार पर प्रक्रियाओं के तहत् किया गया था। परन्तु 19 वर्ष बीत जाने के बावजूद सेवा स्थायी करने की प्रक्रिया अब प्रारंभ नहीं किया गया है। विभाग द्वारा अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मियों की सेवा स्थायी करने की प्रक्रिया न प्रारंभ कर इनके स्थान पर नये नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ किया गया है। अतः जनहित की इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

01.	02.	03.	04.
05-	श्री जय प्रकाश भाई पटेल स0वि0स0	विदित् हो संयुक्त बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद पटना द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 70 (सत्तर) प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) एवं 18 (अठारह) सांख्यिकी अंवेषकों इत्यादि अन्य पदों पर 1986 से 1998 तक सैकड़ों स्नातकों की बहाली हुई। सभी को योगदान की तिथि से सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी माना गया। परन्तु प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) एवं सांख्यिकी अंवेषकों की पदस्थापन ग्रमीण विकास विभाग द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) में होने के कारण उन्हें सरकारी कर्मी/पदाधिकारी नहीं माना गया है। पुनः झारखण्ड राज्य निर्माण के पश्चात् ग्रामीण विकास विभाग ने क्रमशः-70 (सत्तर) प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) को प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी एवं 18 (अठारह) सांख्यिकी अंवेषकों को प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पद पर क्रमशः पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमण्डल) विभाग, योजना एवं विकास विभाग में दिनांक- 17.02.2011 के पश्चात् पुनः योगदान की तिथि से सरकारी कर्मी माना है जो उपरोक्त कर्मियों/पदाधिकारियों के साथ नैसर्गिग न्याय एवं अन्य सरकारी लाभ के विरुद्ध है। इस कारण ये लोग पेंशन, सामान्य भविष्य निधि एवं सेवा निवृति के पश्चात् होने वाले सभी लाभों से वंचित है, जबकि संयुक्त बिहार में प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) एवं सांख्यिकी अंवेषकों को DRDA में योगदान की तिथि से सरकारी सेवक घोषित कर इन्हें सेवा संवर्ग नियमावली के अनुरूप सभी सरकारी सुविधायें उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः सरकार उपरोक्त सभी कर्मी/पदाधिकारी को DRDA में योगदान की तिथि से सरकारी कर्मी/पदाधिकारी मानते हुए पेंशन, सामान्य भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात् होने वाले अन्य सभी लाभों को देने का विचार करें। उपरोक्त तथ्यों की ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।	ग्रामीण विकास

राँची,
दिनांक- 27 अगस्त, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(कृ0 पृ0 उ0)

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-59/2015-2530/वि0 स0, राँची, दिनांक- 26/8/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ कृषि पशुपाल एवं सहकारिता विभाग/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/15

(छोटेलाल टुडू)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-59/2015-2530/वि0 स0, राँची, दिनांक- 26/8/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

26/8/15

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

26/08/15